

पत्रांक 2995 /क्यू 2-43/ यू0आर0आर0डी0ए0/2015 दिनांक 03 फरवरी, 2016

### स्थायी - आदेश सं० 1/2016

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन, अनुरक्षण एवं रेस्टोरेशन आदि समस्त कार्यों की कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ली जाने वाली माप की न्यूनतम 20 प्रतिशत चेकिंग सहायक अभियन्ता द्वारा एवं न्यूनतम 5 प्रतिशत चेकिंग अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह०


(ए0के0 दिनकर)

मुख्य अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 ग0क्षे0, देहरादून/कु0क्षे0, अल्मोड़ा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी.एम.जी.एस.वाई.), उत्तराखण्ड।

  
मुख्य अभियन्ता  
यू0आर0आर0डी0ए0